डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम
पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस
उनवान

1. कमल पुत्र रामहंस
2. शीशराम पुत्र रामहंस
3. हंसराम पुत्र रामहंस

समस्त जाति गूर्जर निवासी कटाराअजीज तह0 टोडाभीम जिला करौली

वनाम

तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली

दावा वावत् इन्द्राज दुरूस्ती, इस्तकरारहक

मु0न0 30 / 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू पैरोकार सरकार हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः ग्राम कटारा अजीज की जमावन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 160 मे रामबक्स के स्थान पर रामहंस दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार उक्तानुसार रिकार्ड मे अंकन करे।

निज.....................मुवलिंग............................वावत..........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद वशरह.....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............. अदा करे।

आज ब तसदीक मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18.11.2020 को जारी की गई।

18/11/2020
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम
जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 30/2020 तारीख रजू:– 19.03.2020

पीठासीन अधिकारीः– दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

उनवान

1. कमल पुत्र रामहंस
2. शीशराम पुत्र रामहंस
3. हंसराम पुत्र रामहंस

समस्त जाति गूर्जर निवासी कटाराअजीज तह0 टोडाभीम जिला करौली

बनाम

तहसीलदार तहसील टोडाभीम जिला करौली

दावा बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती, इस्तकरारहक

उपस्थितिः– श्री सुरेश चन्द्र शर्मा एडवोकेट वादीगण

पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांकः– 18.11.2020

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम ाअजीज की आराजी खं0 नं0 397/0.43,418/0.95,470/0.50,476/0.23, /0.75, 973/1.25, 976/1390/0.06, कुल किता 7 कुल रकबा 4.17 है0 उक्त मी वादीगण के नाम दर्ज है 1/4 हिस्सा गुलवी के नाम दर्ज है जो वादीगण की तथा जिनका देहावसान हो गया है। वादीगण के पिता का नाम रामहंस है लेकिन रा रेवन्यु में रामबक्स कर दिया है जबकि उक्त खाते के अलावा अन्य खाते में ण के पिता का नाम रामहंस ही है। मौजूदा खं0 नं0 18,470,476,814,973,976/1390 ग्राम कटाराअजीज मे सैटिलमेन्ट विभाग द्वारा क खं0 नं0 405,423,315,554,558,574, से बनाकर अंकित किये है। वादीगण के का नाम रामहंस ही है जो उक्त समस्त रेवन्यु रिकोर्ड में है तथा उक्त साविक नं0 के रेवन्यु रिकोर्ड जमावंदी सम्वंत 2017 से 2020 मै प्रार्थी के पिता का नाम स पुत्र सुरजन जाति गूर्जर निवासी ग्राम वासी अंकित है लेकिन रेवन्यु कार्मचारी लती व पेन स्लिय के कारण आराजी चौसला जामावंदी संम्वत 2021–24 बनाते रामहंस की जगह रामबक्स कर दिया। सम्वत 2021–24 से आज तक उक्त खाते दीगण के पिता का नाम रामबक्स चला आ रहा है। नाम दुरूस्त कराने के हकदार दीगण द्वारा बैक लोन की फाईल बनवाते समय बैक कर्मचारियो ने इस गलती को दिनांक 18.03.2020 को नाम दुरूस्त कराने तहसील कार्यालय मे जाने पर इन्कार कर दिया तथा दावा के जरिये नाम दुरूस्त कराने को कहा। इस कारण पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाकर ग्राम कटाराअजीज मावन्दी सम्वत 2073–76 के खाता सख्या 160 मे वादीगण के पिता का नाम स की जगह रामहंस करने के आदेश प्रदान किये जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार र नायब तहसीलदार बालघाट ने जवाब रिपोर्ट प्रस्तुत की कि जमाबन्दी सम्वत -20 के खाता संख्या 86 मे वादीगण के पिता रामहंस पुत्र सुरजन जाति गूर्जर रेकार्ड थी। जमाबन्दी सम्वत 2021–24 तैयार करते समय रामबक्स पुत्र सुरजन लिपिकीय भूल से दर्ज हो गया। नामांतकरण संख्या 132 दिनांक 15.7.2020 से

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम

वादीगणो के नाम विरासत से खातेदारी दर्ज हुई है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 160 मे रामबक्स दर्ज है। जिसका शुद्व व सही नाम रामहंस पुत्र सुरजन है।

वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा जमाबन्दी सम्वत 2017–20 मे दर्ज रामहंस के अनुसार वर्तमान रिकार्ड मे रामहंस नाम दर्ज करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया है। पैरोकार सरकार ने कथन किया कि वादीगण के पिता का नाम साबिक रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2017–21 मे रामहंस नाम दर्ज है। आगे की जमाबन्दी तैयार करते समय रामहंस के स्थान पर रामबक्स दर्ज हो गया है। अतः नाम दुरूस्त किया जाना उचित है।

वादी वकील एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो का अवलोकन किया। ग्राम कटारा अजीज की जमाबन्दी सम्वत 2017–20 के खाता संख्या 70 के खसरा नम्बरान 315 रकवा 2 बीघा 18 बिस्वा, 405 रकवा 1 बीघा 14 बिस्वा, 423 रकवा 3 बीघा 15 बिस्वा, 554 रकवा 1 बीघा 12 बिस्वा, 558 रकवा 1 बीघा 8 बिस्वा, 574 रकवा 5 बीघा 4 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकवा 16 बीघा 11 बिस्वा की खातेदारी रामहंस पुत्र सुरजन जाति गूर्जर ग्रामवासी के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नम्बरान की जमाबन्दी सम्वत 2021–24 के खाता संख्या 86 मे रामबक्स पुत्र सुरजन गूर्जर सा.देह दर्ज रिकार्ड हो गया है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 के अनुसार साबिक ख0न0 315 मि. रकवा 2 बीघा 18 बिस्वा से नवीन ख0न0 470/0.50 एवं 476/0.23 , साबिक ख0न0 405 रकवा 1 बीघा 14 बिस्वा से नवीन ख0न0 395/0.43, साबिक ख0न0 423 रकवा 3 बीघा 15 बिस्वा से नवीन ख0न0 418/0.95, साबिक ख0न0 561 मि., 574 मि. रकवा 5 बीघा 4 बिस्वा से नवीन ख0न0 973/1.25, 976/1390/0.06 बने है। कुल किता 7 कुल रकवा 4.17 है0 है। पैराकार सरकार ने भी जबाब रिपोर्ट एवं दौराने बहस राजस्व रिकार्ड मे साबिक रिकार्ड के अनुसार रामबक्स के स्थान पर रामहंस नाम शुद्व किये जाने की अभिशंषा की है। दस्तावेजो व नायब तहसीलदार बालघाट की अनुशंषा के आधार पर नाम दुरूस्त किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः ग्राम कटारा अजीज की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 160 मे रामबक्स के स्थान पर रामहंस दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार उक्तानुसार रिकार्ड मे अंकन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2020 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

18/11/2020

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम, जिला करौली